संख्या-14/2020/सा-3-359/दस-2020-308/2016(1)

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक 04सितम्बर, 2020

विषयः- शासनादेश संख्या-23/2019/सा-648/दस-2019-308/2016 दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर 4(II) के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर-4(II) में त्रुटिवश निम्नानुसार व्यवस्था हो गई है-

"4 (II) दिनांक 09-03-2019 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनर्निर्धारण, दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित प्रकल्पित मूल वेतन में 20 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़ते हुये किया जायेगा।"

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्राविधान में परिलक्षित त्रुटि के निराकरण हेतु शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के प्रस्तर 4(II) को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

"4(II)(क) ऐसे राजकीय चिकित्सक जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय मूलवेतन के 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त हो रहा था, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 09-03-2019 से पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु उनके दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित मूलवेतन में इस मूलवेतन का 20 प्रतिशत के बराबर प्रैक्टिस बंदी भत्ता जोड़ा जायेगा।

(ख) ऐसे राजकीय चिकित्सक जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय एक निश्चित धनराशि प्रैक्टिस बंदी भत्ता के रूप में प्राप्त हो रही थी, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 09-03-2019 से पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु उनके दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित मूलवेतन में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की वही धनराशि जोड़ी जायेगी जो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक रूप से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, दिनांक 09-03-2019 से इन चिकित्सकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की धनराशि में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।"

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2020/सा-3-359(1)/दस-2020-308/2016(1) तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in